राष्ट्रीय सहारा - देहरादून संस्करण

18.7.2012 पृ. - 2

सीएमआई समेत कई अस्पताल फैला रहे प्रदूषण : ज

देहरादून (एसएनबी)। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने श्री महंत इंद्रेश चरण दास हास्पिटल, सीएमआई, बेस अस्पताल अल्मोड़ा सहित कई अस्पताल व नर्सिंग होमों के प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये हैं। मसूरी सहित 21 नगर पालिकाओं की सीवरेज व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सुचारु न होने पर उन्हें नोटिस भेजा गया है। ठीक न करने की दशा में इन पर कानूनी कार्रवाई भी जा सकती है।

मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव जयराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के कई अस्पताल और नर्सिंग होम जैविक कूड़ा उठाने व उसके ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इससे महामारी

- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र निरस्त, हो सकती है कानूनी कार्रवाई
- मसूरी सहित 21 नगर पालिकाओं को भी नोटिस

फैलने का खतरा बना हुआ है। बोर्ड ने उपरोक्त अस्पतालों के खिलाफ इसी आधार पर कार्रवाई की है।

साथ ही चेतावनी दी है कि व्यवस्था सुचारु नहीं की गयी तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 21 नगरपालिकाओं की सीवरेज व सालि
सफाई की व्यवस्था सही न होने पर उ
कार्रवाई की जा रही है।

सदस्य सचिव ने कहा कि बोर्ड के
मामले लंबित पड़े हैं। दो मामलों का नि
है। शेष मामलों के निस्तारण के लिए अ
जा रही है। जयराज ने कहा कि कुछ दिन
कमेटी ने गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता
कि हरकी पैड़ी के बाद गंगा में प्रदूषण ब
निगम के पास 53 एमएलडी सीवरेज ट्
जबकि जरूरत 60 एमएलडी की है।